केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
जवाहर लाल नेहरु भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
अनुसंधान भवन, संख्या. 61–65, औधोगिक क्षेत्र,
जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

नागरिक चार्टर

यह घोषणापत्र हमारे उपयोगकर्ताओं को परिषद् की गतिविधियों और संबंधित मामलों को जानने में समर्थ बनाने के लिए एक ढॉचा प्रदान करने एवं उनकी शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच प्रदान करने की कोशिश है ।

परिषद् के बारे में

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन एक संसदीय अधिनियम नामतः, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 53वॉ) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है ।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनॉक 18 मई, 2018 को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश 2018 प्रख्यापित किया गया (जोकि उसी तिथि से लागू हआ) तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 की धारा 3अ की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न सदस्यों को सम्मिलित कर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गयाः–

1	श्री निलांजन सान्याल	–	अध्यक्ष (चेयरपर्सन)
2	श्री प्रमोद कुमार पाठक	–	पदेन सदस्य
3	डॉ0 संजय गुप्ता	–	सदस्य
4	डॉ0 अनिल कुमारी मल्होत्रा	–	सदस्य
5	डॉ0 अनिल खुराना	–	पदेन सदस्य
6	डॉ0 नित्यानंद तिवारी	–	सदस्य
7	डॉ0 बी.टी. रूद्रेश	–	सदस्य

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के उद्देश्य :–

1 होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करना ।

2 केन्द्रीय सरकार को नये महाविद्यालयों को खोलने, सीटों की संख्या बढाने तथा नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आंरभ करने हेतु संस्तुति देना ।

3 होम्यापैथिक आर्युविज्ञानी अर्हता को मान्यता प्रदान करने अथवा मान्यता रद्द करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सलाह/संस्तुति देना ।

4 किसी राज्य या देश के प्राधिंकारियों से जिन्हें उस देश के होम्योपैथिक चिकित्सकों की पंजिका का रख–रखाव का प्राधिकार प्रदान किया गया हो, से परस्परता के आधार पर होम्योपैथी चिकित्सीय अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु योजना तय करने के लिए समझोता करना ।

5 केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका का रख–रखाव करना ।

6 होम्योपैथी चिकित्सकों हेतु वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार व आचार संहिता का निर्धारण करना ।

के. हो. प. द्वारा लागू किये गये शिक्षा विनियम

केन्द्रीय परिषद् ने होम्योपैथी में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर स्तरीय डिग्री पाठयक्रमों हेतु विभिन्न शिक्षा विनियमों को निर्धारित किया है जिन्हें परिषद् की वेब साईट पर देखा / अवतरित (डाउनलोड) किया जा सकता है । अब होम्योपैथी में कोई डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम नहीं है। होम्योपैथी में न्यूनतम पाठ्यक्रम बी0एच0एम0एस0 है जो कि एक वर्ष की आवश्यक गृह शिक्षुता प्रशिक्षण सहित 5½ वर्ष की अवधि का है । बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम का विनियमन होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम,1983 द्वारा किया जाता है । एक होम्योपैथी (श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम) भी है जो दो वर्ष की अवधि का है जिसके लिए प्रावधान होम्योपैथी (श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम,1983 में है । स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम भी सात विशेषज्ञता विषयों में उपलब्ध हैं । होम्योपैथी में कोई पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है ।

होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

वर्तमान में होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को मंजूरी देने का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के पास निहित है । किसी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की मान्यता की स्थिति को केन्द्रीय परिषद् से जाना जा सकता है ।

महाविद्यालयों / परीक्षाओं का निरीक्षण

होम्योपैथी में स्नातक तथा/अथवा स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थाओं के स्तर की जॉच हेतु केन्द्रीय परिषद् द्वारा महाविद्यालयों के साथ साथ परीक्षाओं का भी निरीक्षण किया जाता है ।

मान्यता प्राप्त अर्हताये

भारत तथा विदेश में प्रदत्त होम्योपैथी आयुर्विज्ञानी अर्हता, यदि केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अथवा तृतीय अनुसूची में शामिल है तो वह मान्यता प्राप्त अर्हता कहलाएगी है । जिन्हें केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की वेब साईट पर देखा जा सकता है ।

केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका

केन्द्रीय परिषद् एक पंजिका का रखरखाव करती है जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका (के. हो. प.) कहा जाता है जिसके भाग–I में मान्यता प्राप्त अर्हता धारी साभ्यासी तथा भाग–II में अनुभव के आधार पर राज्य बोर्डों/परिषदों में पंजीकृत साभ्यासियों के नाम होते है । एक व्यक्ति जिसका नाम के. हो. प. में दाखिल हो वह होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 के खण्ड 15 और 26 के उपबन्धों के आधार पर देश के किसी भी भाग में साभ्यास कर सकता है किन्तु पता बदलने की स्थिति में उसे अपने पते में बदलाव की सूचना तीन माह के अन्दर उस बोर्ड/ परिषद् को जिससे कि वह पंजीकृत है, के साथ साथ केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को भी देनी होती है।

राज्य बोर्डों/परिषदों द्वारा उपलब्ध कराए गये ऑकड़ों के आधार पर केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका को तैयार करने तथा रख रखाव का कार्यएक निरंतर प्रक्रिया है । इस प्रकार के राज्य बोर्डों /परिषदों की सूची परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

के. हो. प. से सीधे पंजीकरण

यद्यपि परिषद् से सीधा पंजीकरण ऐच्छिक है किन्तु कोई भी मान्यता प्राप्त अर्हताधारी साभ्यासी जो कि के. हो. प. से पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने का इच्छुक हो वह सहित के. हो. प. की वेबसाईट में उल्लेखित सभी संबंधित कागजातों सहित प्रारुप 'ए' में आवेदन कर सकता है । प्रारूप–'ए' को अवतरित किया जा सकता है ।

उच्चतर अर्हता को जोड़ना

होम्योपैथी में एक मान्यता प्राप्त अर्हताधारी सभ्यासी जो कि सीधे के.हो.प. से पंजीकृत हो, फार्म 'ब' में अतिरिक्त अर्हता को जुड़वाने हेतु जो कि के.हो.प. की वेबसाईट पर उपलब्ध है, उचित शुल्क के साथ पंजीकरण विनियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है ।

आवेदन निपटान हेतु अनुमानित समय

क्रम सं0	विवरण	अनुमानित समय दिनों में
1	➢ आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरंभ करना तथा आवेदक को त्रुटियों से अवगत कराना, यदि कोई हो । ➢ फार्म 'ए' की प्रक्रिया आरंभ करना तथा राज्य बोर्डें /परिषदों को सत्यापन हेतु पत्र निर्गत करना यदि आवेदन ठीक हो । ➢ त्रुटियों को अवगत कराना, यदि सत्यापन के पश्चात पाई गई हों।	30 15

	➢ राज्य बोर्डों/परिषदों से उचित सत्यापन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना ।	30
2	➢ अतिरिक्त अर्हताओं को जोड़ने हेतु प्रक्रिया आरंभ करना तथा विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित करना । ➢ विश्वविद्यालय से सत्यापन पत्र प्राप्ति के पश्चात अभ्यार्थी को सूचित करना ।	20 20

कर्मचारियों का विवरण तथा दी गई जिम्मेदारियों का व्यौरा

सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा दी गई जिम्मेदारियों का व्यौरा परिषद् की वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

शिकवा– शिकायत तथा सुझाव

कोई भी व्यक्ति जो कि सेवाओ / कार्य से संतुष्ट न हो अपनी शिकायत परिषद के प्राधिकारियों के सम्मुख लिखित रुप के साथ–साथ आनलाईन रख सकता है । सुझाव हेतु फार्म परिषद्

की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे भरकर परिषद् को आनलाइन/डाक द्वारा भेजा जा सकता है। नामित प्राधिकारी निम्न हैं:–

(i)	**अध्यक्ष**	:	श्री निलांजन सान्याल
(ii)	**रजिस्ट्रार सह सचिव**	:	डॉ0 कुमार विवेकानन्द
(iii)	**लोक शिकायत अधिकारी**	:	डॉ0 डी. सांबा मूर्थी

सतर्कता अधिकारी

(i)	**मुख्य तथा सर्तकता अधिकारी**	:	डॉ0 कुमार विवेकानन्द
(ii)	**सर्तकता अधिकारी**	:	श्री यज्ञदत्त वत्स

सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत प्राधिकारी

(i)	प्रथम अपीलीय अधिकारी नोडल अधिकारी तथा पारदर्शिता अधिकारी	:	डॉ0 कुमार विवेकानन्द
(ii)	लोक सूचना अधिकारी (तक.)	:	डॉ0 तान्या अग्रवाल
(iii)	लोक सूचना अधिकारी (प्रशा.एवं पंजी.)	:	श्री यज्ञदत्त वत्स

अन्य अधिकारी

(i)	नोडल अधिकारी (एंटी रैगिंग)	:	डॉ0 डी. सांबा मूर्थी
(iii)	नोडल अधिकारी (जेम व सीपीपीपी) नोडल अधिकारी(राजभाषा) नोडल अधिकारी(एनपीएस विद एनएसडीएल) संपर्क अधिकारी (अ जा/अ ज जा तथा अन्य वर्ग) नोडल अधिकारी (अनुकंपा भर्ती) नोडल अधिकारी(जैव आधारित उपस्थित)		श्री यज्ञदत्त वत्स

संपर्क का पता

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

जवाहर लाल नेहरु भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
अनुसंधान भवन, 5वॉ एवं 6ठा तल, संख्या 61–65,
संस्थागत क्षेत्र, 'डी' ब्लाक के सामने, जनकपुरी,
नई दिल्ली–110058.

ई मेल : cchindia123@yahoo.com
वेब साईट : www.cchindia.com
फोन : 011-28525582, 28520607
फैक्स : 011-28520691

XXXXXX